न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा राज0

मि0नं0 02 / 2025 | तारीख दायरा 23.04.2025 | तारीख फैसला 24/11/25

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1. रामहेत माता गुलाब पुत्र मांगीलाल
2. ज्ञानीराम माता गुलाब पुत्र मांगीलाल
3. बीरबल (मृतक) माता गुलाव पुत्र मांगीलाल जरिये कायमुकाम
   - 3 / 1 – मुकेश आत्मज बीरबल
   - 3 / 2 – द्वारक्या बाई पुत्री बीरबल
   - 3 / 3 – चमेली पुत्री बीरबल
   - 3 / 4 – राजु बाई पुत्री बीरबल
   - 3 / 5 – शान्ति बाई पत्नी बीरबल जाति कीर निवासीगण सागाहेडी तह० दीगोद हाल निवास देलोद (छापोल) तहसील पिपल्दा जिला कोटा राज०

(अपीलान्ट)

बनाम

1. बजरंगलाल आ0 मथुरालाल जाति कीर नि0 सागाहेडी तह0 दीगोद जिला कोटा राज०
2. सरपंच ग्राम पचायत मदनपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज०

(रेस्पोडेन्ट)

अपीलान्ट की ओर से – श्री राम बाबू दाधीच

रेस्पोडेन्ट क0 1 की ओर से– श्री छीतरलाल गोचर

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 05.02.2025 नामा0 स0 433, 434 की अप्रसन्नता से अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

–:: निर्णय :–

अपीलान्ट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक उपरोक्त उनवानी अपीलें इस न्यायालय में इस कथन के साथ प्रस्तुत की कि

1 यह कि निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय विधि न्याय एव स्वविवेक प्राप्त तथ्यो से सर्वदा विपरित है।

2 यह कि अपिलाण्टगण की कृषि आराजी वाके ग्राम पीपल्दा समेल तहसील दीगोद जिला कोटा मे खाता न0 22 की ख०न० 287 रकबा 2.63 हे0 कुल 1 किता की रकबा 2.63 है० भूमि अपिलाण्टगण की माता गुलाब बाई की सयुक्त खातेदारी में दर्ज थी जिसके सम्बन्ध मे नामान्तरण रेसपोडेण्ट न० 2 द्वारा स्वीकृत करने पर नामान्तरण स0 433 434 दिनांक 05 / 02 / 2025 से दर्ज हुआ ।

3. यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मदनपुरा व रेसपोडेण्ट कम 1 द्वारा अवैधानिक तरिके से बिना युक्तियुक्त कारण के अन्य सहखातेदारो को सूचना दिये

बिना ही गुपचुप तरिके से ग्राम पंचायत की बैठक आहुत कर उक्त नामान्तरण स० 433 434 को स्वीकृत कर दिया जो सर्वदा त्रुटीपूर्ण एंव अवैधानिक है।

4. यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि जो अपिलाण्ट के माता की सहखातेदारी में स्थित चली आ रही थी ओर अपिलाण्टगण मृतक खातेदार के विधिक वारिसान हे जो पटवारी जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है। उक्त भूमि अपिलाण्टगण की पुश्तैनी भूमि हे जिसके अपिलाण्टगण विधिक उत्तराधिकारी है। अपिलाण्टगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है –

नाथू(मृतक)

राध्या
1.गुलाब बाई(पुत्री)
गोगा(पत्नि)

लक्ष्मण
1.गोरधन(पुत्र)
2.गोपाल(पुत्र)
3.केदार(पुत्र)

मथुरा
1.बजरंगलाल(पुत्र)

गुलाब पुत्री राध्या(मृतक)

रामहेत (पुत्र)

ज्ञानीराम(पुत्र)

बीरबल(पुत्र) मृतक
– मुकेश पुत्र
– द्वारक्या बाई पुत्री
– चमेली बाई पुत्री
– राजु बाई पुत्री
– शान्ति बाई बेवा

5. यह कि रेस्पोडेण्ट कम 1 व 2 द्वारा अपिलाण्ट की भूमि को हडपने की नियत से रेस्पोडेण्ट न० 2 द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए बिना विधिक प्रकिया अपनाजे हुए नामान्तरण स० 433 434 को दिनांक 05/02/2025 को स्वीकृत कर दिया गया हे जो सर्वदा त्रुटीपूर्ण एंव अवैधानिक है।

6. यह कि रेस्पोडेण्ट कम 2 द्वारा रेस्पोडेण्ट न० 1 से मिलिभगत करते हुए गुचपुप तरिके से उक्त नामान्तरण को स्वीकृत किया गया है जिसकी जानकारी अपिलाण्टगण को दिनाक 17/03/2025 को नकल जमाबन्दी प्राप्त करने तथा नामान्तरण की नकल प्राप्त करने पर हुई ओर अपिल अवधि मध्य प्रस्तुत है।

7. यह कि उक्त भूमि ग्राम पीपल्दासमेल ग्राम पंचायत मदनपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित होने से उक्त अपिल को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। जिसके द्वारा उक्त नामान्तरण स्वीकृत किया गया है।

8. यह कि उक्त अपिल अवधि मध्य व उचित न्याय शूल्क पर पेश है।

9. यह कि अपीलाण्टगण द्वारा नामान्तरण स० 433 434 के विरूद्ध पूर्व में कोई अपील इस सम्मानिय न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में प्रस्तुत नही की गई हे ओर न ही विचाराधीन है।

अतः प्रार्थना हे कि अपील अपिलाण्टगण स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण स० 433 434 दिनांक 05/02/2025 को खारीज करते हुए अपीलाण्ट को मृतक गुलाब बाई व गोगा बाई के विधिक वारिसान होने के कारण अपीलाण्टगण के पक्ष में नामान्तरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करे ।

अपीलान्ट द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गयेः–

1. इंतकाल न0 433 दिनांक 05.02.2025 ग्राम पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद
2. इंतकाल न0 434 दिनांक 05.02.2025
3. नकल जमाबंदी ग्राम पीपल्दा समेल संवत् 2076–2079
4. नकल जमाबंदी ग्राम पीपल्दा समेल संवत् 2076–79
5. प्रार्थना पत्र सरपंच सा0 15.12.2014
6. मृत्यु प्रमाण पत्र राध्या
7. मृत्यु प्रमाण सत्र गुलाब
8. मृत्यु प्रमाण पत्र गोगा
9. मौका पर्चा पटवारी हल्का
10. आधार कार्ड अपीलाण्ट गण

प्रार्थना पत्र अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट्स क्रम 1 की ओर से श्री छीतरलाल गोचर एड0 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। रेस्पोन्डेन्ट क्र0 2 की ओर से प्रशासक ग्राम पंचायत मदनपुरा प0स0 सुल्तानपुर स्वयं उपस्थित हुए व जावाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। रेस्पोन्डेन्ट क्र0 2 द्वारा अपने जवाब में ग्राम पीपल्दा समेल के खाता सं0 22 के खासरा न0 287 रकबा 2.63 है0 कुल 1 किता रकबा 2.63 है0 भूमि का इन्तकाल न0 433,434 दिनां 05.02.2025 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। रेस्पोन्डेन्ट क्र0 1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र नहीं दिये जाने पर जवाब बंद कर प्रकरण को बहस पर नियत किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट का कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट का नाम विधिक वारिस होत हुए भी दर्ज नहीं किया गया व सरपंच को निर्णय करने का अधिकार नहीं है।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि नामान्तरण पटवारी रिपोर्ट के आधार पर खोला गया अतः प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं हैं।

प्रस्तुत अपील ग्राम ग्राम पीपल्दा समेल तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता न0 22 की ख०नं० 287 रकबा 2.63 हे0 कुल 1 किता की रकबा 2.63 है० भूमिं जो कि गुलाब पुत्री राध्या के हिस्से दर्ज चली आ रही थी के खोले गये फोती इंतकाल के क्रम

में पेश की गई है। अपीलान्ट का कहना है कि अपीलान्ट गुलाब(मृतक) पुत्री राध्या जी के वारिस है किन्तु रेस्पोन्डेन्ट न0 2 ने गुलाब(मृतक) जी का इंतकाल न0 433,434 दिनांक 05.02.2025 रेस्पोन्डेन्ट न0 1 के नाम दर्ज कर दिया तथा अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया । वहीं रेसपोन्डेन्ट कम 1 का कथन है कि ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरण पटवारी रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट नाथ्या (मृतक) के वारिसान में से एक राध्या की पुत्री गुलाब (मृतक) के वारिसान है। किन्तु रेस्पोन्डेन्ट क02 द्वारा मृतक गुलाब के वारिसान की जांच किये बिना ही नामान्तरण तस्दीक किया है।

प्रकरण में अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजान का आधोपान्त अवलोकन, सम्यक चिंतन मनन किया तथा वांछित रिलीफ आदि पर भी गहन मनन उपरान्त हम इस निषकर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट 02/2025 स्वीकार की जाकर अपील में वर्णित इंतकाल न0 433,434 दिनांक 05.02.2025 खारिज किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष को नियमानुसार पुनः सुनकर तथा विधिक वारिसान की जांच सुनिश्चित कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक २५/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद